

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर एएस

राजस्व वाद संख्या :-194/2024

1. आत्माराम पुत्र हरद्वारी लाल जाति सुथार निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. बजरंग पुत्र हरद्वारी लाल जाति सुथार निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

-- वादीगण

बनाम

1. हरद्वारी लाल पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

-- प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए. घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 27.08.2024

वादीगण की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर एएस

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 हरद्वारी के नाम से चक नम्बर

654 आर.डी. जमाबन्दी संवत 2075 ता 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 60/205 में अंकित कुल 6.566 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 19698 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया चक नम्बर

654 आर.डी. के खाता संख्या 60/205 में से हरद्वारी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



जुषखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---